

अधिसूचना संख्या 68/2015 [एफ.सं.वी.27015/4/2015-एसओ(एनएटी.कॉम)]/एसओ 438(ई) ,दिनांक 11-2-2015

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एसओ 2302(ई), दिनांक 3-10-2011 द्वारा, केंद्र सरकार ने क्रम संख्या 2 पर, "भारत सेवाश्रम संघ 211, रास बिहारी एवेन्यू, कोलकाता - 700 019" द्वारा "भारत सेवाश्रम संघ अस्पताल, गुवाहाटी के विस्तार और मंजिलों के विस्तार" को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए 3.10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम की अवधि तीन वर्ष से अधिक होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या स्कीम का उचित ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने के लिए एक और सिफारिश की है।

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, भारत सेवाश्रम संघ अस्पताल, गुवाहाटी के विस्तार और मंजिलों के विस्तार" योजना या परियोजना को अधिसूचित करती है, जो कि "भारत सेवाश्रम संघ 211, रास बिहारी एवेन्यू, कोलकाता - 700 019" द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15, यानी 2014-15, 2015-16 और 2016-17 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए 3.10 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना किया जा रहा है।

■ ■